न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—153/2024

प्रार्थी :—

दलपत पुत्र आम्बाराम जाति भील निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी :—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::— दिनांक :—23.08.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2345/2307 रकबा 00.2590 हैक्टयर ग्राम पादरू तहसील सिवाना में आई हुई है। मूल खसरा संख्या 2307/122 का विभाजन किये जाने से खसरा संख्या 2345/2307 रकबा 00.2590 हैक्टयर प्रार्थी के नाम व खसरा संख्या 2346/2307 रकबा 00.9712 हैक्टयर नगाराम पुत्र मकाराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद हुआ। प्रार्थी इसी अनुसार काबिज काश्त है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर कृषि भूमि का बिना माप तोल किये प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रेकर्ड नक्शें में गलत इन्द्राज कर दिया गया है जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन एवं गभीरता से मनन किया। मौजा पादरू तहसील सिवाना के मूल खसरा संख्या 2307/122 के विभाजित होने से खसरा संख्या 2345/2307 व खसरा संख्या 2346/2307 बने व प्रार्थी विभाजन अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट [illegible] परिशिष्ठ ''अ'' व भू नक्शा पोर्टल एवं लट्ठा ट्रेस में प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या [illegible]/2307 की तरमीम में भिन्नता है, तहसीलदार सिवाना द्वारा भी अपनी रिपोर्ट [illegible] के खसरे की तरमीम को परिशिष्ठ ''अ'' अनुसार दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.09.08 11:38:56 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरू तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 2345/2307 रकबा 00.2590 हैक्टयर भूमि की नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 23.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.09.08 11:38:56 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट 'अ'

...ट्रेस

1 इन्च = 80 गट्ठा

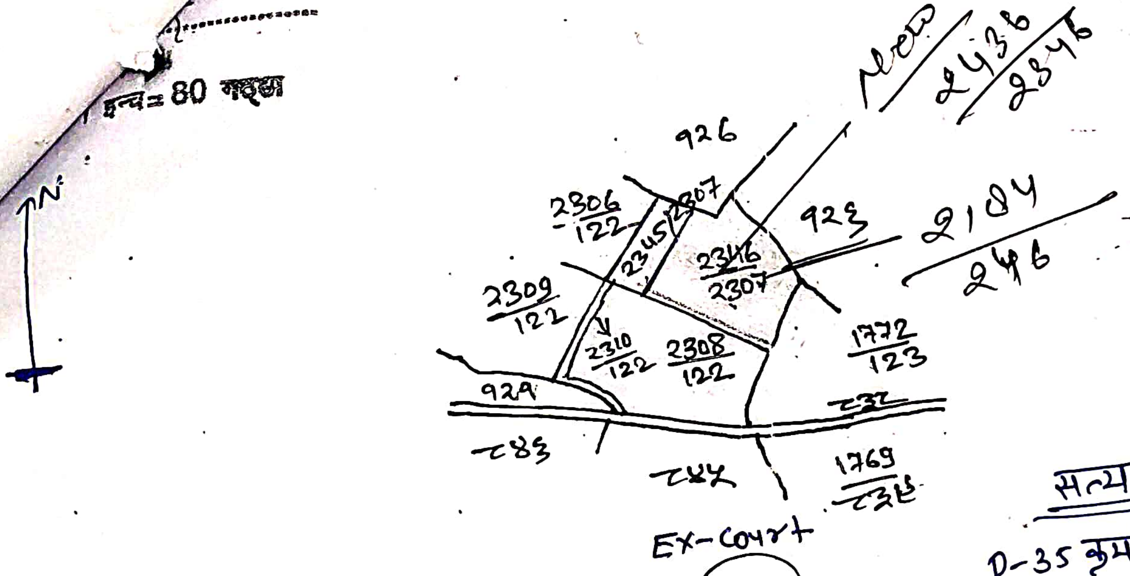

सत्य प्रतिलिपि

P-35 क्रमांक - 1755
14/8/24

Pawan Singh
पटवारी पादरू

C.S.
तहसीलदार (...)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.09.08 11:38:56 IST
Reason: SelfAttested